न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :–02 / 2015 वर्षः– 2015

पीठासीन अधिकारीः– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

1. भंवरी देवी पुत्री जगदीश चन्द्र पत्नी मोडा राम जाति नायक निवासी श्रीकरणपुर
2. रेशमा देवी पुत्री जगदीश चन्द्र पत्नी डूँगर राम, नायक नि. सेतिया कालोनी श्रीगंगानगर
3. विष्णु दवी पुत्री जगदीश चन्द्र पत्नी लक्ष्मी चन्द, नायक नि0 बनवाली
4. पृथ्वीराज पुत्र जगदीश चन्द्र, नायक नि0 श्री करणपुर धर्मशाला के सामने वाली गली
5. ओम प्रकाश पुत्र जगदीश चन्द्र, नायक नि0 श्री करणपुर धर्मशाला के सामने वाली गली
6. सोना देवी पत्नी चिमनलाल नायक नि0 हांसलिया त. पीलीबंगा
7. बबलू पुत्र चिमन लाल नायक नि0 हांसलिया त. पीलीबंगा
8. नीटू देवी पुत्री चिमन लाल नायक नि0 हांसलिया त. पीलीबंगा
9. रिंकू देवी पत्नी तुलसी दास नायक नि0 श्री करणपुर
10 मैना देवी पत्नी तुलसी दास नायक नि0 श्री करणपुर
11. सन्दीप कुमार पुत्र तुलसी दास नायक नि0 श्री करणपुर
12. दीपक कुमार पुत्र तुलसी दास नायक नि0 श्री करणपुर
13. सुनीता पुत्री तुलसी राम पुत्र तुलसी दास नायक नि0 श्री करणपुर
14. मीरा पत्नी पूर्ण चन्द नायक नि0 हांसलिया जरिये मुख्तयारे खास मनीष कुमार पुत्र चिमनलाल साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा

–– अपीलांटस

बनाम्

1. तारासिंह पुत्र डोगर सिंह जाति रायसिख सा0 गोविन्दगढ मांझीवाला त. श्री करणपुर
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर। ––रैस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार श्री करणपुर दि. 18.03.2009 जिसकी रूह से अपीलांट का धारा 183–बी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया ब–मुराद मन्सूखियां

उपस्थित :– श्री ओम प्रकाश बतरा, एडवोकेट, अपीलांटस की ओर से
श्री जगदीश गोदारा एडवोकेट रैस्पो. की ओर से

निर्णय दिनांक 4/8/17

तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांटस द्वारा अपील इस आश्य की पेश की गई कि अपीलांट के दादा टिकन राम के नाम अपीलकृत आराजी खातेदारी दर्ज है अपीलांट के दादा का स्वर्गवास हो गया है जिसके वारिसान 2 लड़के जगदीश व पूर्ण चन्द हैं। जिनका भी स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान अपीलांट हैं। अपीलांटस के दादा के नाम भूमि होने के कारण अपीलांट के पिता काश्त करते थे व तत्पश्चात अपीलांट कमजोर वर्ग के होने के कारण रैस्पोडेंट ठेके पर लेता था अब उसने जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया तो अपीलांटस द्वारा जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जो तहसीलदार करणपुर के पास भेजा गया तो अपीलांटस को पता लगा कि पूर्व में धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र 18.03.2009 को खारिज हो गया दिनांक 15.10.15 को पता लगते ही अपील पेश की जा रही है। अपीलांटस के दादा टिकन राम द्वारा अपीलकृत भूमि का कोई बेचान डोगर सिंह को नहीं किया था न ही कानूनन बेचान किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश मे यह अंकित करना कि जमीन का 21.07.64 को बेचान हो गया है जो गलत है। रेकार्ड से यह साबित है कि टिकन राम व उसके लड़को की मृत्यु हो गयी है इसके बावजूद मृतक व्यक्ति के खिलाफ आदेश गलत पारित किया गया है। अपीलकृत आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया है अपीलकृत आराजी 6.907 हैक्टर का कब्जा अपीलांट को दिलाने का आदेश फरमाया जाये।

अपील पेश होने पर नियमानुसार रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित रिकार्ड प्राप्त किया गया जो संलग्न है। रैस्पो. को तलब किया गया। रैस्पो. के वारिसान का सम्मन अदम तामील प्राप्त होने पर रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया व जो भी अनडिलिवर्ड प्राप्त होने पर समाचार पत्र में साया करवाया गया। रैस्पो. की ओर से श्री रामसिंह ढाका एवं श्री जगदीश गोदारा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

अपीलांटस की ओर से जरिये अभिभाषक लिखित बहस पेश की गई। उनका बहस में तर्क है कि अपीलांट के दादा टिकन राम के नाम अपीलकृत आराजी खातेदारी दर्ज है अपीलांट के दादा का स्वर्गवास हो गया है जिसके वारिसान 2 लड़के जगदीश व पूर्ण चन्द हैं। जिनका भी स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान अपीलांट हैं। अपीलांटस के दादा के नाम भूमि होने के कारण अपीलांट के पिता काश्त करते थे व रैस्पोडेंट भूमि ठेके पर लेता था जिसने जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया तो अपीलांटस द्वारा जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जो तहसीलदार करणपुर के पास भेजा गया तो अपीलांटस को पता लगा कि पूर्व में धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र 18.03.2009 को खारिज हो गया । अपीलांटस के दादा टिकन राम द्वारा अपीलकृत भूमि का कोई बेचान डोगर सिंह को नहीं किया था न ही कानूनन बेचान किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश मे यह अंकित करना कि जमीन का 21.07.64 को बेचान हो गया है जो गलत है। रेकार्ड से यह साबित है कि टिकन राम व उसके लड़को की मृत्यु हो गयी है इसके बावजूद मृतक व्यक्ति के खिलाफ आदेश गलत पारित किया गया है। अपीलकृत आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया है अपीलकृत आराजी 6.907 हैक्टर का कब्जा अपीलांट को दिलाने का आदेश फरमाया जाये। वकील अपीलांट द्वारा नजीर आर आर टी 2005 पेज 206 दीपसिंह बनाम बदरिया की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया कि सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये।

इसके विरोध में लायक वकील रैस्पोडेंट का तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही विचाराधीन थी। प्रश्नस्पद भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम से दर्ज है व उक्त भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा होने पर अपीलाधीन निर्णय द्वारा भूमि का बेचान 21.07.1964 को पाये जाने पर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्डाधिकारी श्री करणपुर के समक्ष वाद दायर करने के आदेश दिये गये हैं। दावा उपखण्डाधिकारी श्री करणपुर के समक्ष विचाराधीन है। वकील रैस्पोडेंट का कथन है कि बयनामा की वैधता दावा के दौरान तय होनी है। यदि उक्त आदेश अपास्त किया जाता है तो उक्त दावा जो राज्य हित का है को वापिस लेना होगा जिससे राज्य हित प्रभावित होगा। उपखण्डाधिकारी के समक्ष दावा विचाराधीन है जिसमें गुणावगुण पर विनिश्चिय होना है। अपने बहस वकील रैस्पो0 द्वारा दावा लम्बन के संबंध में दस्तावेजात पेश किये।

रिबटल में वकील अपीलांटस का कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांटस को सुना नहीं गया है। नसेर्गिक न्याय का सिद्धान्त है कि निर्णय पारित करने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को सुना जावे। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर निर्देशित किया जावे कि अपीलांटस को सुना जाकर निर्णय पारित किया जावे। बहस के दौरान पेश किये गये दस्तावेजात पर वकील अपीलाट द्वारा आपति की गई कि अपील की बहस स्तर पर उक्त दस्तावेजात पेश नहीं किये जा सकते जो बोर्ड पर लेने हेतु आदेश 41, नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया जाना चहिये था बहस के दौरान दस्तावेज पेश नहीं किये जा सकते। इस संबंध में नजीर आर आर टी 2007 पेज 763 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहा कि इस संबंध में आपति सुनी जाकर प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण जाति की भूमि का कब्जा होने के कारण धारा 183 बी के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई है व दिनांक 18.03.2009 को आदेश पारित किया गया है कि धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्डाधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जाये। उक्त आदेशों के अनुसरण में उपखण्डाधिकारी श्री करणपुर के समक्ष दावा

File Look

विचाराधीन है। वकील रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दावा लम्बन सम्बन्धी दस्तावेजात को रिकार्ड पर न भी लिया जावे तो भी वकील अपीलांटस द्वारा बहस के दौरान उक्त तथ्यों का खण्डन या इन्कार नहीं किया है। वकील रैस्पो. द्वारा प्रस्तुत दावा की प्रतियां वर्ष 2012 की हैं। दावा वर्तमान में लम्बित है या नहीं वर्तमान स्थिति ज्ञात नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में 183 बी के तहत कार्यवाही को समाप्त किया गया है लेकिन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुना नहीं गया है। न्याय के सिद्धान्त के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकारान को सुना जाना चाहिये।

अतः उक्त विवेचन के प्रकाश में अपील अपीलांटस इस हद तक स्वीकार की जाती है कि उन्हे सुना जावे व गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड लौटाया जावे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर